



2026:AHC-LKO:40641

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 12961 वर्ष 2025

नज़ीर @ नज़ीर

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता	: सुमित चौहान, मनीष कुमार सिंह, प्रतिभा मौर्या
विपक्षीगण के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.),

न्यायालय कक्ष सं. - 11माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 31/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किए जाने की कृपा की जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है तथा वह दिनांक 07.02.2025 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्त मुनव्वर @ अता मोहम्मद को इस न्यायालय द्वारा दण्डिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3931/2025 में पारित दिनांक 09.05.2025 के आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है (आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत आदेश को अभिलेख पर लिया गया)। इन परिस्थितियों में, आवेदक भी जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि सह-अभियुक्त मुनव्वर @ अता मोहम्मद को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की परस्पर विरोधी दलीलों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, सह-अभियुक्त मुनव्वर @ अता मोहम्मद के जमानत आदेश, समानता के आधार तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने के पश्चात्, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. आवेदक - नज़ीर @ नज़ीर- को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में, व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक ऐसे किसी अपराध को कारित नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा, जो उस अपराध के समान हो, जिसके कारित किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भा.दं.सं./धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/बी.एन.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-क/बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक वाद की कार्यवाही के आरंभ, आरोप विरचित किए जाने तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/बी.एन.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करना स्वतंत्र होगा।

7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह)

दिनांक : 09 जून, 2026

गौरव/

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।